OK

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1927 /XXV-31/2026 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर, 2026

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2027 की तैयारियों तथा प्रदेश में गतिमान ईवीएम–वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) की समीक्षा के संबंध मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 27 अक्टूबर, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आहूत बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 से प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित ईवीएम–वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) की प्रगति समीक्षा के साथ–साथ आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2027 की प्रारम्भिक तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि :–

1. प्रदेश के समस्त 12,543 मतदेय स्थलों का संबंधित अधिकारियों द्वारा शत्–प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
2. निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के दौरान मतदान केंद्रों के भवनों की स्थिति का विशेष रूप से परीक्षण किया जाए। जिन मतदान केंद्रों के भवन जर्जर अथवा मतदान हेतु अनुपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें नियमानुसार निकटवर्ती उपयुक्त सरकारी भवन में स्थानांतरित करने की विधिवत प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
3. प्रत्येक मतदान केंद्र पर विद्युत, रैम्प, पेयजल, शौचालय तथा अन्य आवश्यक न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं (Assured Minimum Facilities–AMF) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
4. शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत सभी जिला निर्वाचन अधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएंगे कि उनके जनपद के समस्त मतदान केंद्र निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं तथा वहाँ आवश्यक न्यूनतम आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
5. मतदेय स्थलों के युक्तिकरण (Rationalization) के अन्तर्गत यदि किसी जनपद में मतदेय स्थलों के युक्तिकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव अपेक्षित हो, तो ऐसे प्रस्तावों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किया जाए।
6. प्रस्तावों पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर नियमानुसार विचार–विमर्श एवं सहमति की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
7. युक्तिकरण से संबंधित प्रस्ताव विलम्बतम दिनांक 29 अक्टूबर, 2026 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
8. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 (SSR–2027) के अन्तर्गत दिनांक 12 नवम्बर, 2026 को आलेख्य प्रकाशन से पूर्व सभी जनपद आगामी 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर निर्वाचक नामावलियों में दर्ज प्रत्येक नाम का गहन परीक्षण सुनिश्चित कराते हुए, निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नाम, आयु, संबंध, संबंधी का नाम तथा अन्य विवरणों का पुनः सत्यापन किया जाए। किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा अपूर्णता पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तथा ऐसे सभी प्रकरणों में प्रपत्र–8 भरवाकर एकत्र करते विवरणों में संशोधन सुनिश्चित किया जाए।
9. अभियान के अन्तर्गत यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नो–मैपिंग अथवा किसी विसंगति के कारण यदि किसी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से अपमार्जित हुआ हो, तो ऐसे मामलों की पहचान कर पात्र मतदाताओं से प्रपत्र–6

भरवाते हुए नियमानुसार उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

10. सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के निर्देशों के अनुसार चलाये गये सत्यापन अभियान के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से अनावश्यक रूप से वंचित न रहे तथा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के सुधार हेतु नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही की जाए। इस संबंध में Annexure–1 व Annexure–2 में मतदेय स्थलवार फील्ड सत्यापन/जांच रिपोर्ट तत्काल अपलोड करायी जाय।
11. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आवश्यक तैयारियाँ समय से पूर्ण कर ले तथा पुनरीक्षण कार्य की प्रत्येक गतिविधि की नियमित समीक्षा करें।
12. आयोग के पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 के प्रस्तर–4 के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा कार्यमुक्ति के आदेश आयोग की पूर्वानुमति के बिना न किये जाए।
13. प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 से गतिमान ईवीएम–वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) के कार्य की नियमित एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
14. यह सुनिश्चित किया जाय कि एफ.एल.सी. की कार्यवाही का राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया जाए, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी भी प्रतिदिन कम–से–कम एक बार स्वयं एफ.एल.सी. स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा कार्य की प्रगति, व्यवस्थाओं एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन की समीक्षा करेंगे। एफ.एल.सी. से संबंधित समस्त कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपादित की जाए।
15. जनपद पौड़ी गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल में अधिक संख्या कन्ट्रोल यूनिट FLC Rejected के होने पर अन्य जनपदों से अतिरिक्त कन्ट्रोल यूनिट आवंटित किये जाने की मांग पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बैठक के अंत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों का धन्यावाद ज्ञापित करते हुए निर्देश दिये गये कि बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा करें। मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, निर्वाचक नामावली के परीक्षण, मतदेय स्थलों के युक्तिकरण से संबंधित प्रस्तावों तथा एफ.एल.सी. की प्रगति के संबंध में निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाए।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1927/ **XXV-31/2026 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।